

न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं
पीठासीन अधिकारी ::: सतीश कुमार (R.T.S)
मिसल नं. ::: 11/2020
सरकार बनाम ईश्वर उर्फ बानिया पुत्र उदाराम
जाति गुवारिया निवासी- भावठड़ी

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 19.02.2020

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल ईश्वर उर्फ बानिया पुत्र उदाराम जाति गुवारिया निवासी- भावठड़ी द्वारा रोही मौजा भावठड़ी की राजकीय भूमि ख.नं. 176 के कुल रकबा 6.49 है० किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.01 है० भूमि पर दो मकानों की नींव खोदकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किये गया। गैर सायल ने हाजिर होकर जवाब नोटिस पेश किये जिसमें उसने गै.मु. जोहड़ पर कोई अतिक्रमण नहीं करना बताया है। गैर सायल का जवाब संतोषजनक नहीं माना जा सकता।

अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 05 रु. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावे। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावे। मिसल फौसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० सं० 4 के पृष्ठ सं..... 09

वर्ष 2019-20 में रुपये..... कायम

राजस्व लेखाकार

(सतीश कुमार)

नायब तहसीलदार सूरजगढ़